VI वित्तीय संस्थाओं का विनियमन और पर्यवेक्षण

बैंकों और बैंकेतर वित्तीय संस्थाओं का मजबूत विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा भारतीय वित्तीय प्रणाली पर वैश्विक वित्तीय संकट के संक्रामक प्रभाव को रोकने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। किंतु, इस संकट से मिले सबक और उभरते नए अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर, भारतीय विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे का और सुसंगतीकरण वित्तीय स्थिरता के ढांचे को और मजबूत करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय प्रणाली समावेशक और उच्च वृद्धि की आवश्यकता पूरी करे। 2009-10 के दौरान, इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए जिनमें प्रणालीगत स्थिरता के मामलों पर अधिक ध्यान देना और पहली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करना, पूंजी पर्याप्तता के प्रति उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के लिए समय-सारणी की घोषणा करना, बासेल II के स्तंभ 2 के तहत पर्यवेक्षी समीक्षा और आकलन प्रक्रिया लागू करना, सीमा-पारीय पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षी सहयोग में प्रगति, धोखाधड़ियां रोकना और ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली पर आधारित ऑफ साइट निगरानी के लिए पर्यवेक्षण प्रणाली को मजबूत बनाना शामिल है। वित्तीय सुदृढ़ता के महत्वपूर्ण संकेतक (एफएसआइ) तथा तनाव परीक्षण के परिणाम यह सुझाते हैं कि वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ और आघात-सह बनी रही।

VI.1 रिज़र्व बैंक का विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा, वित्तीय स्थिरता का लक्ष्य पूरा करने के मुख्य साधन के रूप में, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की मजबूती और आघातसहनीयता पर काफी बल देता है और उसकी सुसंगति तथा प्रभावशीलता तब स्पष्ट हो गयी जब भारत के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने वित्तीय संकट को बिना अधिक दबाव के ही सह लिया। रिज़र्व बैंक के विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे के अनेक विशेष पहलुओं ने भारतीय वित्तीय प्रणाली पर संक्रमण के प्रभाव को रोकने में सहायता की। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के प्रति स्तरबद्ध दृष्टिकोण तथा संश्लिष्ट एवं जटिल ढांचागत उत्पादों के प्रति बैंकिंग प्रणाली के सीमित एक्सपोजर ने संक्रमण के प्रभाव के प्रति अत्यधिक प्रभावी कवच उपलब्ध कराया। घरेलू विनियामक नीतियों में, वैश्विक संकट की शुरुआत से पहले ही लागू, बैंकों की इस आवश्यकता पर विशेष रूप से बल दिया गया था कि वे पर्याप्त पूंजी और चलनिधि बनाए रखें। स्थावर संपदा तथा पूंजी बाजार जैसे अति घट-बढ़ वाले संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति बैंकों का एक्सपोजर सीमित हो गया। सीआरआर और एसएलआर संबंधी विनियमन, जो विवेकसम्मत विनियमन की श्रेणी में पूर्णत: नहीं आते, चलनिधि जोखिम के प्रति प्रभावी सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। बैंकों के प्रतिभूतिकरण कार्यों के विनियामक दिशानिर्देशों के कतिपय पहलुओं, विशेष रूप से प्रतिभूतिकरण पर लाभ तत्काल लाभ कमाने पर रोक से यह सुनिश्चित हुआ कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के अनुभवों से भिन्न, प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में विकृत प्रोत्साहन को दबाया गया।

VI.2 प्रणालीगत जोखिम को रोकने के लिए, रिज़र्व बैंक ने मुद्रा बाजार में गैर-संपार्श्विकीकृत उधार लेने और देने पर प्रतिबंध लगाया। अंतरसंबद्धता से उभरते जोखिमों को कम करने के लिए अंतर-बैंक देयताओं पर भी सीमाएं लगाई गईं। प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग संस्थाओं (एनबीएफसी-एनडी-एसआइ) से वित्तीय प्रणाली के प्रति जोखिम को पहचानते हुए इन संस्थाओं को भी विवेकसम्मत विनियमन के तहत लाया गया। रिज़र्व बैंक नें नए वित्तीय उत्पाद लाने के लिए क्रमिक और सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, ओटीएस डेरिवेटिव बाजारों के लेनदेनों का कम से कम एक पक्ष रिज़र्व बैंक के विनियामक अधिकार-क्षेत्र में आना चाहिए। प्रणालीगत स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय वित्तीय क्षेत्र के समग्र स्व-आकलन के अलावा जो कि वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति (एचएलसीसीएफएम) के रूप में संस्थागत ढांचा भी लागू था जो स्थिरता, तनाव के प्रति आघात-सहनीयता और

अंतरराष्ट्रीय मानकों और संहिताओं के अनुपालन पर फोकस किया। वाणिज्यिक स्थावर संपदा, निजी और उपभोक्ता ऋण जैसी कतिपय श्रेणियों के एक्सपोजरों के लिए जोखिम भार और प्रावधानीकरण अपेक्षाएं पिछले पांच वर्षों में भिन्न प्रति चक्रीय थीं ताकि इन क्षेत्रों को ऋण प्रवाह आर्थिक चक्रों के संगत हो।

VI.3 उक्त सभी प्रयासों ने सामूहिक रूप से गंभीर वैश्विक संकट के बीच भी देशी बाजारों में वित्तीय संकट से बचने में योगदान किया। 2009-10 के दौरान, वैश्विक संकट से लिए गए सबक के आधार पर संस्थाओं और बाजारों को और विकसित करने तथा वित्तीय स्थिरता ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए अनेक विनियामक उपाय किए गए (बॉक्स VI.1)।

बॉक्स VI.1
वैश्विक संकट और विनियामक सबक: भारत की अब तक की अनुक्रिया

विनियामक व्यवस्था की सीमाएं, विशेष रूप से विकसित देशों में, हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के मुख्य हेतुक कारकों में से एक हैं। इन व्यवस्थाओं से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का कम पूंजीकरण हुआ है क्योंकि जोखिम की नाप अपर्याप्त थी और साथ ही अपने कार्यों में प्रचक्रीयता का घटक जोड़ा है तथा अनेक जमाराशि लेनेवाली संस्थाओं को विनियमन की परिधि से बाहर रखा है। परिणामस्वरूप, न केवल वित्तीय क्षेत्र, की आघात-सहनीयता प्रभावित हुई, बल्कि वित्तीय क्षेत्र वित्तीय चक्र के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया। संकटोत्तर काल में, वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने के लिए वैश्विक तौर पर एक रोडमैप बनाया जा रहा है। बासेल समिति ने व्यष्टि-विवेकसम्मत और समष्टि-विवेकसम्मत दोनों ही उपायों का प्रस्ताव किया है। विचाराधीन व्यष्टि-विवेकसम्मत उपायों में पूंजी आधार की गुणवत्ता, मात्रा, संगतता और पारदर्शिता बढ़ाना, पूंजी ढांचे के जोखिम कवरेज को मजबूत बनाना, अनुपूरक लीवरेज अनुपात और वैश्विक न्यूनतम चलनिधि मानक शुरू करना शामिल हैं। विचाराधीन समष्टि-विवेकसम्मत उपायों में, प्रत्याशित हानियों के आधार पर, प्रतिचक्रीय पूंजी ढांचा और अधिक अग्रदर्शी प्रावधानीकरण शामिल हैं। आइएमएफ, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी), वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस) और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तय संस्थाओं (एसआइएफआइ) का आकलन करने के लिए समष्टि-विवेकसम्मत ढांचा, उपकरण और संकेतक जिनमें विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण शामिल है, विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं।

भारत की अनुक्रिया

भारतीय वित्तीय प्रणाली वैश्विक वित्तीय संकट के समय भी सामान्य रूप से स्थिर बनी रही क्योंकि यह लाभप्रद, अच्छी तरह पूंजीकृत और विवेकसम्मत रूप से विनियमित थी। इसकी पृष्ठभूमि में यह प्रतीत होता है कि इस संकट के प्रतिसाद के रूप में विनियामक सुधारों के एक भाग के रूप में वैश्विक तौर पर विचार किए जा रहे उपाय भारत में इस संकट के पहले से ही लागू थे। इनमें बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं के लीवरेज पर सीमाबाधता, चलनिधि अपेक्षा, प्रतिचक्रीय विवेकसम्मत उपाय, स्तंभ I पूंजी में ऐसी अनेक मदों की पहचान न करना जिन्हें अब अंतरराष्ट्रीय तौर पर उक्त मद से हटाया जा रहा है, जारी प्रतिभूतियों की अवधि में एसपीवी के प्रति प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बिक्री से हुए लाभ की पहचान, आय या स्तंभ I पूंजी में वसूल न हुए लाभ की गणना करना शामिल है। किंतु, रिज़र्व बैंक ने भी अन्य केंद्रीय बैंकों संकट और संकट से उत्पन्न विनियामक सबक के प्रति प्रतिसाद व्यक्त किया।

वित्तीय संक्रमण रोकने के उपाय

रिज़र्व बैंक ने ऋण और वित्तीय बाजारों के कार्य की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए रुपए और विदेशी मुद्रा की प्रचुर चलनिधि सुनिश्चित करने के अलावा, क्षेत्र विशेष के विभिन्न प्रति-चक्रीय विनियामक उपायों पर पुनर्विचार किए जिनमें जोखिम भार और प्रावधानीकरण शामिल हैं। इसने वृद्धि में मंदी को रोकने की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण-प्रवाह की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार्य ऋण खातों की पुनर्रचना के लिए विनियामक दिशानिर्देश भी दिए। विनियामक उपायों का लक्ष्य संस्थागत और बाजार विकास को बढ़ाना और वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता मजबूत बनाना था, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

संस्थागत और बाजार विकास के उपाय

प्रतिभूतिकरण बाजार

अंतरराष्ट्रीय तौर पर, प्रतिभूतिकरण बाजार का वैश्विक संकटोत्तर सुधार इस केंद्रीय विचार पर आधारित है कि प्रारंभकर्ता को प्रोत्साहनों के बेहतर संरेखण के उपाय के रूप में उनके द्वारा शुरू किए गए हर प्रतिभूतिकरण का एक भाग अपने पास रखना चाहिए और ऋणों की अधिक प्रभावी स्क्रीनिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा, प्रतिभूतिकरण से पहले ऋण अपने पास रखने की न्यूनतम अवधि भी वांछित समझी जा सकती है ताकि निवेशक को इस बात का भरोसा हो जाए कि प्रारंभकर्ता द्वारा उचित सावधानी बरती गई है। उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूतिकरण के लिए न्यूनतम धारण अवधि और न्यूनतम धारण अपेक्षा के संबंध में मसौदा दिशानिर्देश बनाए और जनता की टिप्पणियों के लिए उसे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर अप्रैल 2010 में रखा गया।

ऋण चूक स्वैप (सीडीएस)

सीडीएस की शुरुआत के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश बनाने के लिए आंतरिक कार्य दल का गठन किया गया। इस दल की ड्राफ्ट रिपोर्ट जनता की टिप्पणियों के लिए 4 अगस्त 2010 को बैंक की वेबसाइट पर रखी गई।

(जारी...)

(...समाप्त)

वित्तीय संगुटों के लिए होल्डिंग कंपनी संरचना

भारत में वित्तीय संगुटों (एफसी) का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए कार्यदल गठित किया गया है जिसमें सरकार, रिज़र्व बैंक, सेबी, आइआइरडीए और आइबीए से प्रतिनिधि लिए जाएंगे। यह दल नियंत्रक कंपनी की संरचना की शुरुआत के लिए रोडमैप और आवश्यक विधिक संशोधन/ढांचे की सिफारिश करेगा।

विदेशी बैंकों की उपस्थिति

वैश्विक वित्तीय बाजारों द्वारा सुधार के चिह्न दर्शाने के साथ ही, उक्त संकट से सबक लेते हुए रिज़र्व बैंक सितंबर 2010 तक शाखा या पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक संस्था (डब्ल्यूओएस) माध्यम से विदेशी बैंकों की उपस्थिति की पद्धति पर चर्चा पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में है।

वित्तीय प्रणाली की आघात-सहनीयता को सुदृढ़ करने के उपाय

बासेल II ढांचा

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने अधिक आघात सहनीय बैंकिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को मजबूत बनाने के लिए दिसंबर 2009 में व्यापक सुधार पैकेज प्रस्तुत किया। इस समिति ने दो प्रस्तावों का मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआइएस) कर रही है: पहला, पूंजी आधार की गुणवत्ता, संगतता और पारदर्शिता बढ़ाने, जोखिम कवरेज, लीवरेज अनुपात और प्रचक्रीयता से संबंधित तथा दूसरा, विश्व भर में चलनिधि में तनाव के प्रति अंतरराष्ट्रीय तौर पर सक्रिय बैंकों की आघात-सहनीयता बढ़ाने और साथ ही चलनिधि जोखिम पर्यवेक्षण की अंतरराष्ट्रीय सुसंगतता में वृद्धि करने से संबंधित है। दस बड़े भारतीय बैंक भी क्यूआइएस में सहभागी हुए। परिणाम दर्शाते हैं कि भारतीय बैंकों को अपेक्षाओं के पालन में विशेष दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यूआइएस के परिणामों, दो प्रस्तावों पर प्राप्त टिप्पणियों, अंतरण और दीर्घकालिक आर्थिक लाभ और लागत पर आर्थिक प्रभाव के आकलन को ध्यान में लेते हुए, समिति जुलाई 2010 की अपनी बैठक में पूंजी और चलनिधि सुधार पैकेज के समग्र स्वरूप पर व्यापक समझौते पर पहुंची। विशेष रूप से, इसमें पूंजी, प्रतिपक्षी ऋण जोखिम का व्यवहार, लिवरेज अनुपात और वैश्विक चलनिधि मानक शामिल हैं। स्तरबद्धता और चरणबद्ध व्यवस्था को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की अपेक्षा है और समिति ने घोषित किया है कि पूंजी और चलनिधि सुधार का ब्योरा 2010 के अंत तक जारी कर दिया जाएगा।

प्रावधानीकरण कवरेज

बैंकिंग प्रणाली में प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने यह अधिदेश दिया है कि बैंक अपना प्रावधानीकरण कुशन बढ़ाएं जिसमें एसपीए के लिए विशेष प्रावधान हों और साथ ही चल प्रावधानीकरण भी हों और वे यह सुनिश्चित करें कि चल प्रावधानीकरण सहित उनका कुल प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर) 70 प्रतिशत से कम न हो। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे इस मानदंड का अनुपालन सितंबर 2010 तक सुनिश्चित करें।

प्रणालीगत स्थिरता आकलन

VI.4 वैश्विक संकट के बाद, प्रणालीगत स्थिरता आकलन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है जिसमें वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के बीच अंतरसंबद्धता और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण विनियमित और अविनियमित संस्थाओं से वित्तीय प्रणाली के प्रति जोखिम को विशेष महत्व दिया गया। प्रणालीगत स्थिरता पर फोकस को अधिक मजबूत करने के लिए रिज़र्व बैंक ने बैंक में वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू)की स्थापना की और पहली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) मार्च 2010 में जारी की गई। एफएसयू के विप्रेषण में लगातार आधार पर वित्तीय प्रणाली की समष्टि विवेक सम्मत निगरानी शामिल है। जबकि एफएसआर वर्ष में दो बार प्रकाशित किया जाएगा, अधिक बारंबारिता के आकलनों से बैंक के शीर्ष प्रबंधन को अवगत कराया जाएगा।

VI.5 दिसंबर 2009 को समाप्त अवधि के लिए प्रणाली स्तरीय तनाव परीक्षण विश्लेषण यह सुझाता है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात, उच्च कोर पूंजी और धारणीय वित्तीय लीवरेज के संदर्भ में अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंकों के साथ बैंकिंग क्षेत्र मोटे तोर पर: मजबूत रहता है। ऋण और बाजार जोखिम के लिए तनाव परीक्षण दर्शाता है कि बैंक तनाव के अनपेक्षित स्तरों का सामना करने में समर्थ हैं। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी एनडीटीएल का न्यूनतम प्रतिशत जोखिम-मुक्त सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में रखें, जो काफी सीमा तक चलनिधि और ऋण शोधन की चिंताओं को कम कर देता है। तनाव परीक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र काफी आघात-सह है और बेहतरीन स्थिति में भी, जब मंदी में सभी पुनर्रचित मानक अग्रिम काल्पनिक रूप से एनपीए बन जाएंगे, तब भी परिणामी तनाव अधिक नहीं होगा। जहाँ ऋण और ब्याज दर आघातों के प्रति वाणिज्य बैंकों की सहनीयता कुछ समय में बढ़ गई है, चलनिधि परिदृश्य विश्लेषण कुछ संभाव्य जोखिम को दर्शाता है। बैंकों के मार्जिन पर निवेश संविभाग पर

प्रतिभूतियों के दैनिक बाजार मूल्य (एमटीएम) का प्रभाव, प्रावधानीकरण अपेक्षाओं में वृद्धि और 1 अप्रैल 2010 से बचत जमा पर दैनिक आधार पर ब्याज गणना का दबाव आ सकता है। आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) विश्लेषण कोई महत्वपूर्ण बेमेल नहीं दर्शाता। किंतु, हाल के वर्षों की ऋण वृद्धि मुख्यत: बुनियादी ढांचा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा जैसे क्षेत्रों में देखी गई है जिनमें दीर्घावधि निधीयन आवश्यक होता है। परिणामी एएलएम बेमेलों की निरंतर आधार पर निगरानी आवश्यक होगी।

VI.6 विश्लेषण ने यह भी बतलाया कि कुल जमाराशि में कम लागत की चालू और बचत खाता जमाराशि का हिस्सा अधिक है। किंतु, कुछ संस्थाओं में भारी जमाराशि पर अति-निर्भरता, जो कि ऊंचे स्तर पर बनी रही, जमाराशि आधार की लागत और स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। बैंकिंग क्षेत्र जैसे ही, एनबीएफसी क्षेत्र भी संकट के परिणामों को, प्रणालीगत मुद्दे उठाए बिना, प्रबंधित करने में कामयाब रहा। किंतु, एएलएम बेमेल, ऋण गुणवत्ता और एनबीएफसी तथा वित्तीय क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के बीच अंतर-संबंधित प्रवाह पर कड़ी निगरानी आवश्यक होगी। गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए, एनबीएफसी - एनडी - एसआइ के लिए पर्यवेक्षी व्यवस्था निहित जोखिम के अधिक कड़े आकलन के लिए मजबूत करनी होगी।

VI.7 हाल की अवधि में किया गया विश्लेषण सुझाता है कि एससीबी ने अपना पूंजी कुशन लगातार बढ़ाया क्योंकि मार्च 2010 के अंत में सीआरएआर और कोर सीआरएआर में रिकार्ड वृद्धि की। एससीबी की आस्ति गुणवत्ता, जो कि 2005 से अच्छा सुधार दर्शा रही थी, में मानक अग्रिमों की पुनर्रचना के बावजूद 2009-10 के दौरान कुछ गिरावट देखी गई जिसका मुख्य कारण मानक अग्रिमों की पुनर्संरचना के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव था (चार्ट VI.1)।

VI.8 2009-10 में प्रतिभूति व्यापार और विदेशी मुद्रा परिचालनों से एससीबी की आय का आकलन काफी कम हो गया, इस प्रकार अन्य परिचालनों से आय वृद्धि अंशतः प्रतितुलित हो गई और इसीलिए बैंकों के निवल लाभ की वृद्धि कुछ कम हो गई। कुल आस्तियों के प्रति तरल आस्तियों का अनुपात पिछले अनेक वर्षों में 32 प्रतिशत से ऊँचे स्तर पर रहा है। एससीबी का आस्ति पर प्रतिफल (आरओए), जो उस दक्षता का संकेतक है जिससे बैंक अपनी आस्तियां नियोजित करते हैं, पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया था, वह 2009-10 के दौरान वह कुछ कम हो गया (सारणी VI.1)।

VI.9 यूसीबी के मामले में भी, सीआरएआर ने सुधार दर्शाया और सकल एनपीए और निवल एनपीए दोनों अनुपातों में गिरावट आइ। जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी ने अपना पूंजी आधार और मजबूत किया और उनका सीआरएआर 18.5 प्रतिशत से बढ़कर 22.2 प्रतिशत हो गया, हालांकि सकल एनपीए अनुपात कम हो गया। एनबीएफसी-एनडी-एसआइ के मामले में, इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई), जो उस दक्षता का संकेतक जिससे पूंजी को नियोजित किया जाता है, कम हो गया और आरओए भी कम हो गया।

चार्ट VI.1: एससीबी के सुदृढ़ता संकेतक

चार्ट VI.1 क: एससीबी की पूंजी पर्याप्तता

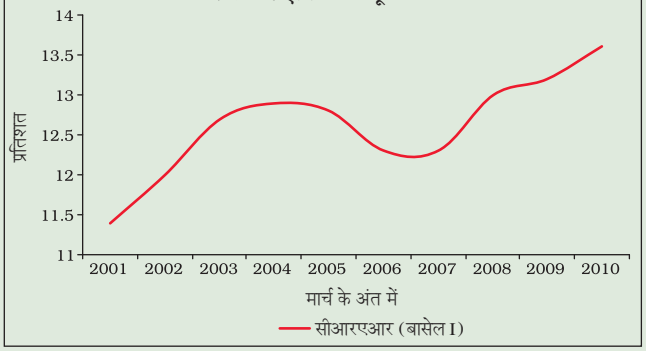

चार्ट VI.1 ख: एससीबी की अनर्जक आस्तियां

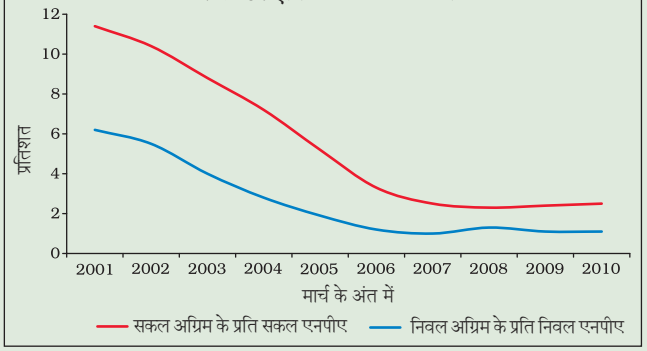

सारणी VI.1: चुनिंदा वित्तीय संकेतक

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में	अनुसूचित वाणिज्य बैंक	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं	प्राथमिक व्यापारी	जमा लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	एनबीएफसी-एनडी-एसआइ
1	2	3	4	5	6	7	8
सीआरएआर	2009	13.2 * 14.0 **	12.6	24.6	34.8	18.5	40.5
	2010	13.6 * 14.6 **	12.9	24.2	43.5	22.2	उ.न.
सकल अग्रिमों के प्रति सकल एनपीए	2009	2.4	11.5	0.3	..	1.0	2.5
	2010	2.5	9.2	0.2	..	2.0	उ.न.
निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीए	2009	1.1	3.5	0.1	..	-	1.0
	2010	1.1	3.4	0.1	..	-	उ.न.
कुल आस्तियों पर प्रतिफल#	2009	1.1	0.8	1.2	6.6	2.7	2.5
	2010	1.1	0.7	1.4	1.8	उ.न.	2.0
इक्विटी पर प्रतिफल#	2009	14.5	उ.न.	9.6	21.5	15.9	8.9
	2010	13.3	उ.न.	7.5	6.8	उ.न.	7.0
दक्षता (लागत/आय अनुपात)#	2009	45.4	53.2	15.9	11.7	74.1	71.3
	2010	45.8	60.1	18.5	31.2	उ.न.	73.5
निवल ब्याज मार्जिन (प्रतिशत)#	2009	2.7	उ.न.	2.3	..	4.5	1.3
	2010	2.7	उ.न.	2.3	..	उ.न.	1.8

* : बासेल I के तहत सीआरएआर xx : बासेल II के तहत सीआरएआर # वित्तीय वर्ष से संबंधित उ.न. :उपलब्ध नहीं। लागू नहीं : शून्य/नगन्य

टिप्पणी: 1. 2010 के आंकड़े अलेखापरीक्षित और अनंतिम हैं, ए आइ एफ आइ छोड़कर।
2. एससीबी के आंकड़ों में 4 एलएबी शामिल हैं।
3. एससीबी के आंकड़ों में सीआरएआर छोड़कर घरेलू परिचालन शामिल हैं।
4. एनबीएफसी-डी के लिए, 2010 के आंकड़े सितंबर 2009 के अंत की अवधि के हैं।
5. यूसीबी के सीआरएआर में मधुपुरा मर्कन्टाइल सहकारी बैंक लिमि. शामिल नहीं है।

स्रोत: 1. एससीबी: ऑफ-साइट पर्यवेक्षी विवरणी।
2. यूसीबी: ऑफ-साइट निगरानी विवरणी।
3. ए आइ एफ आइ : एआइएफआइ से प्राप्त लेखा परीक्षित ऑसमॉस विवरणियां।

VI.10 भारत में शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में जमाराशि/आस्ति आधार, परिचालन क्षेत्र और कारोबार के स्वरूप के संदर्भ में काफी विषमता है। यूसीबी बैंक शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वित्तीय मध्यस्थों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और गैर-कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से छोटे उधारकर्ताओं, की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के संदर्भ में, सुदृढ़ स्तर पर इस क्षेत्र के विकास के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनेक पहलें की जा रही हैं। विभिन्न उपायों के प्रभाव का आकलन इस क्षेत्र के बदलते प्रोफाइल में देखा जा सकता है। श्रेणी III और IV के यूसीबी की कुल संख्या, जो यूसीबी की कमजोरी/रुग्णता का सूचक है, मार्च 2005 के 39 प्रतिशत से कम होकर मार्च 2010 के अंत में 20 प्रतिशत रह गई।

VI.11 आर्थिक मंदी के कारण बैंकिंग प्रणाली के तुलनपत्र की वृद्धि कम हो गयी है। इसका बैंकों की ऋण गुणवत्ता और लाभप्रदता पर बाद में प्रभाव पड़ सकता है। कुछ खातों में गिरावट के कारण आस्ति गुणवत्ता कुछ हद तक प्रभावित हो सकती थी जो कि 2008 और 2009 में मंदी से प्रभावित सक्षम इकाइयों के आर्थिक मूल्य के परिरक्षण की सीमित अवधि में शुरू किए गए विशेष संवितरण के तहत पुनर्रचित किए गए थे। 2009-10 की वार्षिक निरीक्षण प्रक्रिया में उस पद्धति की समीक्षा की गई थी जिसमें बैंकों द्वारा पुनर्रचना दिशानिर्देश लागू किए गए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस संबंध में निर्धारित पूर्व शर्तों और रक्षोपायों का अनुपालन किया गया है। यह देखा गया कि कुछ खामियों के बावजूद आर्थिक सुधार को देखते हुए पुनर्रचित खातों में खामियां बहुत अधिक नहीं थीं। 31 मार्च 2010 को, पुनर्रचित मानक अग्रिम बैंकों के कुल सकल अग्रिमों के 3 प्रतिशत से कम थे। इस बात की आशा है कि मंदी के दौरान किए गए पुनर्रचना संबंध उपायों के कारण प्रणालीस्तरीय खामियों में भविष्य में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी। कुछ उधारकर्ता प्रतिकूल विनिमय दर घटबढ़ से भी प्रभावित हो सकते हैं। अत: बैंकों के लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे

उनके कंपनी ग्राहकों की अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर संबंधी जोखिमों का सावधानी से आकलन करें।

वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय

VI.12 नवंबर 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी और विनियामक पहलों के पीछे मुख्य मार्गदर्शक शक्ति रहा है। बीएफएस ने जुलाई 2009 से जून 2010 के दौरान बारह बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों में, इसने अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के 2008-09 के निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर विचार किया। इसने 96 निरीक्षण रिपोर्टों (सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों, निजी क्षेत्र के 22 बैंकों, 24 विदेशी बैंकों, 4 स्थानीय क्षेत्र बैंकों, 4 वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के एक बैंक के 14 स्थानीय मुख्यालयों की रिपार्टों) की समीक्षा की। इस अवधि के दौरान, बीएफएस ने अनुसूचित यूसीबी संबंधी 20 निरीक्षण रिपोर्टों के सारांश और श्रेणी I/II में श्रेणीबद्ध किए गए अनुसूचित यूसीबी संबंधी 43 वित्तीय मुख्य-मुख्य बातों के सारांशों की भी समीक्षा की।

VI.13 पर्यवेक्षी रेटिंग ढांचे की प्रभाविता को मजबूत बनाने के एक भाग के रूप में, बीएफएस ने रेटिंग मॉडल के आय आकलन घटक के संशोधन संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया। यह संशोधन आंशिक रूप से आरओए (आस्ति पर प्रतिलाभ) मानदंड के निभाव के लिए मौजूदा रेटिंग मॉडल में आरओई (इक्विटी पर प्रतिलाभ) घटक को आबंटित अंक घटाता है। बीएफएस के निदेशानुसार, इसे 2009-10 के निरीक्षण चक्र से लागू किया गया।

VI.14 2009-10 के दौरान, बीएफएस ने मासिक निगरानी प्रणाली के तहत आने वाले बैंकों के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट के संशोधन पर ध्यान केंद्रित किया ताकि उनके कार्यों, परिचालनों और प्रक्रियाओं की व्यापक निगरानी सुनिश्चित की जा सके। आशोधित निगरानी प्रणाली को तदनुसार लागू किया गया।

VI.15 अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं की तर्ज पर व्यापक प्रकटन को विनिर्दिष्ट कर बैंकों के परिचालनों में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास के रूप में, बीएफएस ने बैंकों के परिचालनों के विभिन्न क्षेत्रों में 'लेखों पर टिप्पणियां' के भाग के रूप में अतिरिक्त प्रकटन मानदंड निर्धारित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया।

VI.16 बीएफएस के अनुरोध पर, एफसी की विभिन्न वित्तीय बाजार घटकों में उपस्थिति के कारण उनकी पहचान करने के लिए मानदंड और एफसी की घटक संस्थाओं को निर्धारित करने के मानदंड संशोधित किए गए ताकि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण सभी समूहों और उन संस्थाओं, जिन पर पहचाने गए समूह द्वारा 'नियंत्रण' किया जाता है, को निगरानी ढांचे की परिधि के तहत लाया जा सके। समूहों पर अधिक गुणात्मक सूचना प्राप्त करने के लिए एफसी रिपोर्टिंग फार्मेट को उचित रूप से संशोधित किया गया है।

VI.17 बीएफएस ने बैंकों में धोखाधड़ियों की निगरानी की प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास जारी रखे और निदेश दिया कि धोखाधड़ियों की सूचना देने और आंतरिक जांच जैसी धोखाधड़ियों पर कार्रवाई न करने/विलंब से करने के लिए बैंकों के बोर्ड/ शीर्ष प्रबंधतंत्र को जिम्मेदार माना जाएगा। बीएफएस ने महसूस किया कि शीर्ष प्रबंधतंत्र से भी यह अपेक्षित है कि जांच में हुई प्रगति के संबंध में जांच एजेंसियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करें। बीएफएस ने यह भी निदेश दिया कि बैंकों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली की दक्षता और मजबूती की जांच करके वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआइ) रिपोर्टों में विशिष्ट टिप्पणियां की जानी चाहिए।

VI.18 बीएफएस ने धोखाधड़ियों के उच्च संकेंद्रण के कारण बहिर्वासी के रूप में पहचाने गए बैंकों के लिए विशेष निगरानी प्रणाली अनुमोदित की। प्रारंभिक चरण में यह निर्णय लिया गया था कि निगरानी का कार्यान्वयन आंतरिक प्रणाली के माध्यम से किया जाए जहां बहिर्वासी बैंकों की पहचान की जाएगी और बैंक को उसे बहिर्वासी के रूप में पहचाने जाने की वास्तव में सूचना न देते हुए उसके शीर्ष प्रबंधन के साथ चर्चा करने सहित आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की जाए। मासिक और तिमाही चर्चा और एएफआइ बैठकों में अब से धोखाधड़ियों पर, और विशेष रूप से जहां बैंक बहिर्वासी श्रेणी में आते है, चर्चा पर अधिक फोकस किया जाएगा।

VI.19 बीएफएस ने सीमापारीय पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षी सहयोग प्रणाली के प्रस्तावों को अनुमोदन दिया, जो पर्यवेक्षी सहयोग पर विदेशी विनियामकों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने और उनके साथ जानकारी बांटने, विदेशी विनियामकों द्वारा बुलाई गई पर्यवेक्षी परिषदों में रिज़र्व बैंक की सहभागिता और

बड़े/जटिल भारतीय बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी परिषदों की स्थापना की अनुमति देता है। रिज़र्व बैंक भारत सरकार के साथ चर्चा करके एमओयू को अंतिम रूप दे रहा है।

वाणिज्य बैंक

विनियामक पहलें

नया पूंजी पर्याप्तता ढांचा

VI.20 भारत में सभी वाणिज्य बैंकों ने सरल दृष्टिकोण अपनाकर विनियामक पूंजी बनाए रखने के लिए दो चरणों में (अर्थात 31 मार्च 2008 और 31 मार्च 2009 को) बासेल II ढांचे में प्रवेश किया। जुलाई 2009 में, भारत में उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के लिए समय निर्धारित किया गया (सारणी VI.2)। भारत में बासेल II ढांचा लागू करने के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों को फरवरी 2010 में संशोधित/विस्तारित किया गया जो कि सरल मानकीकृत दृष्टिकोणों का प्रयोग करने वाले बैंकों के लिए उपयुक्त थे और जुलाई 2009 में बासेल II ढांचे में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा किए गए परिवर्तनों की तर्ज पर थे। मानक दृष्टिकोण ढांचे के स्तंभ 1 (न्यूनतम पूंजी अपेक्षा) में बदलाव मुख्यत: प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, बैंकिंग बही और व्यापार बही दोनों में, के लिए पूंजी अपेक्षा को बढ़ाने पर लक्ष्यित थे। स्तंभ 2 संबंधी संशोधित दिशानिर्देश (पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा प्रक्रिया) पूंजी पर्याप्तता संबंधी बैंकों के आंतरिक आकलन में मौजूद जोखिमों की बेहतर पहचान करने तथा उन्हें मापने एवं जोखिमों के उचित प्रबंधन में बैंकों की मदद करते हैं। स्तंभ 3 (बाजार अनुशासन) में किए गए संशोधनों में ऋण जोखिम संबंधी प्रशामकों तथा प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़रों के लिए अधिकणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षाएं शामिल हैं।

VI.21 'परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार के परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण' (टीएसए) तथा बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार की माप हेतु आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण क्रमशः मार्च तथा अप्रैल 2010 में जारी किए गए।

विवेकपूर्ण मानदण्ड

प्रतिचक्रीय पूंजी पर्याप्तता और प्रावधानीकरण मानदंड

VI.22 वैश्विक संकट से उत्पन्न संक्रामकता से निपटने के लिए अपनाए गए नीतिगत उपायों के अंग के रूप में, नवम्बर 2008 में प्रतिचक्रीय उपाय के रूप में जोखिम भारों तथा प्रावधानीकरण संबंधी निर्धारणों को शिथिल किया गया। पिछले एक वर्ष में वाणिज्यिक भूसंपदा क्षेत्र को ऋण में भारी वृद्धि और इस क्षेत्र में पुनर्निधारित अग्रिमों की सीमा को देखते हुए, आस्ति गुणवत्ता में संभाव्य खराबी के प्रति कूशन तैयार करने के लिए वाणिज्यिक भूसंपदा क्षेत्र में मानक आस्ति पर अपेक्षित प्रावधान 0.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही, अस्थायी पुनर्विन्यास एवं न्यूनतर वृद्धि का बैंकों के ऋण संबंधी गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव को स्वीकार करते हुए तथा बैंकों की आय अच्छी होने की स्थिति में प्रावधानों का निर्माण करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, दिसम्बर 2009 में बैंकों को सूचित किया गया कि फ्लोटिंग (अस्थिर) प्रावधानों सहित उनका कुल प्रावधान कवरेज अनुपात सितम्बर 2010 तक 70 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

कार्यान्वयन के तहत की परियोजनाओं के लिए विवेकसम्मत मानदंडों में संशोधन

VI.23 'कार्यान्वयन के तहत की परियोजनाओं' पर लागू आस्ति वर्गीकरण दिशानिर्देश वर्ष के दौरान संशोधित किए गए ताकि उन

सारणी VI.2 : भारत में उन्नत दृष्टिकोण लागू करने के लिए समयसीमा

दृष्टिकोण	बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को आवेदन करने की सबसे पहली तारीख	रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन की संभावित तारीख
1	2	3
क. बाजार जोखिम के लिए आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (आइएमए)	1 अप्रैल 2010	31 मार्च 2011
ख. परिचालनगत जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (टीएसए)	1 अप्रैल 2010	30 सितंबर 2010
ग. परिचालनगत जोखिम के लिए उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए)	1 अप्रैल 2012	31 मार्च 2014
घ. ऋण जोखिम (मूल तथा अग्रिम आइआरबी) के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित (आइआरबी) दृष्टिकोण	1 अप्रैल 2012	31 अप्रैल 2014

मामलों में कुछ शिथिलता दी जा सके जहां परियोजना, विशेष रूप से बुनियादी सुविधा परियोजना, की पूर्णता विलंबित हो गई हो। संशोधन पुनर्रचना ढांचे के भीतर किए गए और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया कि इन संशोधनों से विवेकसम्मत मानक प्रभावित न हो जाए।

VI.24 बुनियादी ढांचा परियोजना ऋण, जहां परियोजना नियत तिथि को कार्य शुरू करने में असमर्थ है, को वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की वास्तविक तिथि से चार वर्ष (पहले अनुमत दो वर्ष की अवधि के विपरीत) की अधिकतम अवधि के लिए मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखा जा सकता है। इसी प्रकार, गैर-बुनियादी ढांचा परियोजना ऋण, जहां परियोजना नियत तिथि को कार्य शुरू करने में असमर्थ है, को भी एक वर्ष (पहले अनुमत छह माह की अवधि के विपरीत) की अधिकतम अवधि के लिए मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करना जारी रखा जा सकता है। ये संशोधन उच्चतर प्रावधानीकरण की अपेक्षा सहित कतिपय शर्तों के तहत हैं।

बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बैंकों के एक्सपोजर को विनियमित करते विवेकसम्मत मानदंडों में संशोधन

VI.25 बुनियादी ढांचा के वित्तपोषण के लिए एससीबी को प्रोत्साहन देने के लिए, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्य करने वाली कंपनियों द्वारा जारी सात वर्ष की न्यूनतम अवशिष्ट अवधिपूर्णता वाले दीर्घावधि बांडों में उनके निवेश अब अवधिपूर्णता-तक-धारित (एचटीएम) श्रेणी में वर्गीकृत करने की अनुमति है।

VI.26 बैंकों को अनुमति दी गई थी कि वे मार्ग/महामार्ग परियोजनाओं और टोल संग्रह अधिकार के संबंध में वार्षिकी को निर्माण-परिचालन-अंतरण (बीओटी) मॉडल में मूर्त प्रतिभूति के रूप में समझें जहां यातायात का निश्चित स्तर प्राप्त न होने पर परियोजना प्रायोजन के मुआवजे की व्यवस्था हो और इसके लिए यह शर्त होगी कि वार्षिकी प्राप्ति और टोल संग्रह के अधिकार विधिक रूप से प्रवर्तनीय और अप्रतिसंहरणीय हों।

VI.27 बुनियादी ढांचा ऋण खाते, जो अवमानक के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, पर 20 प्रतिशत के चालू निर्धारण के बजाय 15 प्रतिशत प्रावधानीकरण लागू होगा। कम प्रावधानीकरण की इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बैंकों में नकदी प्रवाह को एस्क्रो करने की उचित प्रणाली और इन नकदी प्रवाहों पर विधिक प्रथम दावा होना चाहिए।

VI.28 बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियों (एनबीएफसी-आइएफसी) को बैंक एक्सपोजर के लिए जोखिम भारांक सेबी में पंजीकृत और रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसी कंपनयिों को दी गई रेटिंग से जोड़े जाएंगे। इससे अच्छे रेट प्राप्त एनबीएफसी-आइएफसी के लिए अब तक की तुलना में कम जोखिम भार रहेगा।

वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर (सीआरई) की परिभाषा

VI.29 वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर (सीआरई) की परिभाषा इसे बासेल II ढांचे में सीआरई की दी गई परिभाषा से संगत बनाने के लिए युक्तियुक्त की गई। किसी एक्सपोजर को सीआरई के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए यदि निधीयन से स्थावर संपदा का निर्माण/अधिग्रहण होता हो जहां चुकौती की संभावना और वसूली की संभावना प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली ऐसी निधिकृत आस्ति से उत्पन्न नकदी प्रवाह पर प्राथमिक रूप से निर्भर करेगी। इसके अलावा, एक्सपोजर को सीआरई के रूप में उन मामलों में भी वर्गीकृत किया जाना चाहिए जहां एक्सपोजर सीआरई के निर्माण या अधिग्रहण से सीधे न जुड़ा हो बल्कि चुकौती सीआरई से निर्मित नकदी प्रवाह से आएगी।

भारतीय बैंकों में आइएफआरएस का कार्यान्वयन

VI.30 भारतीय लेखांकन मानक (आइएएस) का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आइएफआरएस) से अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए, बैंकिंग कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए कंपनी कार्य मंत्रालय ने रिज़र्व बैंक के साथ चर्चा करके रोडमैप बनाया है। इस रोडमैप के अनुसार, सभी एससीबी अपने प्रारंभिक तुलनपत्र 1 अप्रैल 2013 को आइएफआरएस अभिसरणीत आइएएस के अनुपालन में रूपांतरित करेंगे। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए आइएफआरएस रूपांतरण के संदर्भ में परिचालन दिशानिर्देश बनाने में सहायता करने और कार्यान्वयन मामलों पर ध्यान देने के लिए रिज़र्व बैंक ने कार्य दल का गठन किया है।

मूल्यन समायोजन और अतरल स्थिति के व्यवहार पर कार्य दल

VI.31 रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2009 में बीसीबीएस द्वारा घोषित बासेल II ढांचे के विस्तार के परिणाम स्वरूप फरवरी 2010 में बैंकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य बातों के साथ बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने संविभाग में विभिन्न जोखिमों/लागतों के लिए विशिष्ट मूल्यन समायोजन करें जिसमें डेरिवेटिव शामिल हैं जो एमटीएम अपेक्षाओं और इन स्थितियों की अचलनिधि की शर्त पर हैं। ये दिशानिर्देश बैंकों को मूल्यन समायोजन की राशि की गणना के लिए कोई भी मान्यताप्राप्त मॉडल/पद्धति अपनाने की अनुमति देते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक इस प्रयोजनार्थ कोई संगत कार्यपद्धति अपनाए, इस संबंध में उचित ढांचे की सिफारिश करने के लिए रिज़र्व बैंक, फिमडा, आइबीए, फेडाई और कुछ बैंकों से सदस्य लेकर कार्य दल बनाया गया।

मुआवजा प्रथाएं

VI.32 विश्व समुदाय, विशेष रूप से जी-20 देशों द्वारा उठाए गए कदमों के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने मजबूत मुआवजा नीति के संबंध में निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश सामान्यत: मजबूत मुआवजा नीति पर वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये दिशानिर्देश मुआवजे का प्रभावी विनियमन, मुआवजे का विवेकसम्मत जोखिम लेने से संगतीकरण और पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी)/मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के लिए प्रकटन, बैंकों के जोखिम लेने वाले और लेखापरीक्षा का स्टाफ, अनुपालन और प्रबंधन क्षेत्र कवर करते हैं।

आधार दर प्रणाली

VI.33 2003 में शुरू की गयी बीपीएलआर प्रणाली से ऋण दरों में पारदर्शिता लाने संबंधी उसके मूल उद्देश्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुए क्योंकि बैंक बीपीएलआर से कम दर पर ऋण दे सकते थे। दिसम्बर 2009 में बीपीएलआर से कम दर पर दिया गया ऋण लगभग 65.8 प्रतिशत था। नीति निर्माताओं के दृष्टिकोण से, पारदर्शिता के अभाव में रिज़र्व बैंक की नीतिगत दरों के बैंकों की ऋण दरों में संचारण का आकलन करना कठिन था। इस मुद्दे का समाधान करने के लिए बेंचमार्क मूल ऋण दर संबंधी कार्य दल (अध्यक्ष : श्री दीपक मोहन्ती) द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार 1 जुलाई 2010 से 'आधार दर' प्रणाली लागू की गई। आधार दर में ऋण दरों संबंधी उन सभी तत्वों को शामिल किया जाएगा, जो सभी वर्ग के उधारकर्ताओं के बीच सामान्य होते हैं। बैंक आधार दर की गणना के लिए किसी भी पद्धति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते उसमें सुसंगति हो तथा वह पर्यवेक्षणात्मक समीक्षा के लिए उपलब्ध हो। बैंक आधार दर के संदर्भ में तथा उपयुक्त माने गए अन्य ग्राहक और उत्पाद विशिष्ट प्रभारों को शामिल करके ऋणों एवं अग्रिमों पर अपनी वास्तविक ऋण दरों का निर्धारण करेंगे। सभी वर्ग के ऋणों का मूल्यन आधार दर के संदर्भ में किया जाएगा तथा निम्नलिखित इसके अपवाद होंगे : (क) डीआरआइ अग्रिम, (ख) बैंकों के अपने कर्मचारियों को दिए गए ऋण, (ग) बैंकों के जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशियों के प्रति दिए गए ऋण। पात्र फसल ऋणों और निर्यात ऋण जहां भारत सरकार से ब्याज छूट मिलती है, और उधारकर्ता इकाई की सक्षमता के लिए पुनर्रचित किए गए कुछ मामलों में भी आधार दर से छूट है। आधार दर अस्थिर (फ्लोटिंग) दर वाले ऋण उत्पादों के लिए भी, बाह्य बाजार बेंचमार्क दरों के अलावा, संदर्भ बेंचमार्क दर का कार्य कर सकते हैं।

अपने ग्राहक को जानें / धनशोधन विरोधी उपाय (एएमएल)

VI.34 भारत की एएमएल/ आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) व्यवस्था का समग्र मूल्यांकन वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) और एशिया पैसिफिक समूह (एपीजी) के आकलनकर्ताओं के संयुक्त दल ने किया था। एफएटीएफ मानक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धनशोधन निवारण नियमावली, 2005 और साथ ही विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में उचित संशोधन किए। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को विनियामक दिशानिर्देश

जारी किए। परिणाम स्वरूप, एफएटीएफ ने जून 2010 में आयोजित अपनी प्लेनरी में भारत को स्वयंपूर्ण सदस्यता दी।

शाखा प्राधिकृत करना

VI.35 शाखा प्राधिकृत करने पर गठित कार्य दल (अध्यक्ष: श्री पी विजय भास्कर) की सिफारिशों के अनुसार, देशी एससीबी (आरआरबी छोड़कर) के लिए मौजूदा शाखा प्राधिकृत करने संबंधी नीति को उदार बनाया गया। तदनुसार, 1 दिसंबर 2009 से बैंकों को प्राप्त अनुमति से वे रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना टियर 3 से टियर 6 केंद्रों (2001 की जनगणना के अनुसार 49,999 तक की जनसंख्या) में शाखाएं खोल सकते हैं। बैंकों को यह भी अनुमति दी गई थी कि वे उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्कीम में ग्रामीण, अर्ध शहरी और शहरी केंद्रों में रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना शाखाएं खोल सकते हैं। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपने शाखा विस्तार की योजना इस तरह से बनाएं कि टियर 3 से टियर 6 केंद्रों में किसी वित्तीय वर्ष में खोली गई शाखाओं की कुल संख्या कम से कम एक तिहाई कम बैंक वाले राज्यों के कम बैंक वाले जिलों में होनी चाहिए।

VI.36 टियर 1 और टियर 2 केंद्रों (50,000 और अधिक जनसंख्या वाले केंद्र) में शाखाएं खोलने के बारे में, बैंक रिज़र्व बैंक से पूर्व प्राधिकार प्राप्त करना जारी रखेंगे। रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए, वित्तीय समावेशन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार और ग्राहक सेवा के स्तर पर बैंक के निष्पादन के अलावा टियर 3 से टियर 6 केंद्रों में बैंक के शाखा विस्तार का रेकार्ड भी एक मानदंड होगा।

विदेशी बैंकों का प्रवेश

VI.37 2009-10 में, रिज़र्व बैंक ने भारत में शाखाएं खोलने के लिए विदेशी बैंकों को 6 अनुमोदन जारी किए। 30 अप्रैल 2010 को, 34 विदेशी बैंक 311 शाखाओं के साथ भारत में कार्यरत थे। इसके अलावा, 45 विदेशी बैंक भी प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से भारत में कार्यरत थे।

VI.38 रिज़र्व बैंक के 'भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति का रोडमैप', जो फरवरी 2005 में जारी किया गया था, में अप्रैल 2009 में संशोधन निर्धारित था। किंतु, उस समय वैश्विक वित्तीय बाजार संकट में थे और विश्व भर में बैंकों की वित्तीय शक्ति को अनिश्चितताओं ने घेर रखा था। तदनुसार, वैश्विक वित्तीय प्रणाली में स्थिरता और सुधार संबंधी अधिक स्पष्टता आने पर रोडमैप की समीक्षा का निर्णय लिया गया। जबकि वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिति में सुधार होता आ रहा है, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संकट से सीखे सबकों को शामिल करते हुए नीतिगत ढांचा बना रही हैं। संकट से सबक लेते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि सितंबर 2010 तक शाखा या डब्ल्यूओएस रूट के माध्यम से विदेशी बैंकों की उपस्थिति की पद्धति पर चर्चा पत्र तैयार किया जाए।

नए बैंक लाइसेंस

VI.39 नए बैंकों के लाइसेंसीकरण का उल्लेख करने वाले केंद्रीय बजट के बाद, 2010-11 की वार्षिक नीति में यह घोषणा की गई कि अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं, भारतीय अनुभव और साथ ही मौजूदा स्वामित्व तथा नए बैंकों के लाइसेंसीकरण पर दिशानिर्देशों संबंधी चर्चा पत्र व्यापक टिप्पणियों और प्रतिसूचना के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर जल्द ही रखा जाएगा। चर्चा पत्र पर सभी जोखिम धारकों के साथ विस्तृत चर्चा आयोजित की जाएगी और प्रतिसूचना के आधार पर दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस संबंध में प्राप्त सभी आवेदन बाहरी दक्ष समूह को भेजे जाएंगे जो उनकी जांच करके लाइसेंस प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक को सिफारिश करेगा। चर्चा पत्र तैयार किया गया है और 11 अगस्त 2010 को बैंक की वेबसाइट पर रखा गया है।

ऋण सूचना कंपनियां

VI.40 ऋण सूचना कंपनियां उधारकर्ताओं के ऋण का रेकार्ड रखती हैं और उसे उधारदाताओं को उपलब्ध कराती हैं ताकि वे ग्राहक के ऋण इतिहास का आकलन कर सकें। उधारकर्ताओं की सूचना के इस आदान-प्रदान से चूक दर कम होती है, औसत ब्याज दर कम होती है, उधार में वृद्धि होती है और ऋण बाजार को गहन बनाने में मदद मिलती है। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने पहली बार ऋण सूचना कारोबार शुरू करने के लिए दो निजी ऋण सूचना कंपनियों को पंजीयन प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी किए। दो और

कंपनियों के आवेदन (जिनमें से एक मौजूदा ऋण सूचना कंपनी है), जिन्हें सैद्धांतिक अनुमोदन पहले ही दिया जा चुका है, सीओआर जारी करने के लिए विचाराधीन हैं।

पर्यवेक्षी पहलें

पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया लागू करना

VI.41 बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआइ) के एक भाग के रूप में बासेल II के स्तंभ 2 के तहत पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) करने के लिए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों (आइओ) को समर्थ करने के लिए, एक आंतरिक कार्य दल ने विस्तृत दिशानिर्देश बनाए। एसआरईपी रेटिंग-प्रेरित ढांचे के तहत विभिन्न बैंकों के जोखिम प्रोफाइल का आकलन करेगा।

धोखाधड़ी निगरानी प्रणाली

VI.42 बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों की संख्या और राशि में वर्ष के दौरान कुछ वृद्धि हुई (सारणी VI.3)। रिज़र्व बैंक में धोखाधड़ी निगरानी प्रणाली, अब तक, प्राथमिक रूप से आपराधिक मंशा (आपराधिक दिमाग) पर आधारित रही है जिसमें बैंक को वित्तीय हानि या धोखेबाजों को अनुचित लाभ शामिल है। एक आंतरिक समीक्षा के अनुसार, आपराधिक मंशा, बैंक को वित्तीय हानि या धोखेबाजों को अनुचित लाभ पर बल दिए बिना धोखाधड़ी गैर-विधिक पद्धति से परिभाषित करना होगा। उक्त परिवर्तित परिभाषा लागू होने से, पर्यवेक्षी फोकस गंभीर गलत कार्यों पर रखा जा सकेगा जो सामान्य लापरवाही का नतीजा नहीं होता। किंतु, बैंकों को धोखाधड़ियों पर पहले जैसी ही विधिक कार्रवाई जारी रखनी होगी।

सारणी VI.3: बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ियां

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	सभी धोखाधड़ियां		जिनमें से 1 करोड़ और अधिक रुपयों की बड़े मूल्य की धोखाधड़ियां	
	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	
2005-06	13914	1381	194	1094
2006-07	23618	1194	150	840
2007-08	21247	1059	177	659
2008-09	23914	1883	212	1404
2009-10	24797	2017	225	1524

VI.43 मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, बैंक धोखाधड़ियों के उन मामलों को बंद नहीं कर सकते जो मामले सीबीआइ/पुलिस/न्यायालय में अंतिम रूप से निपटाए नहीं जाते, जिसके लिए अनेक वर्ष लग जाते हैं और इससे बैंकों में धोखाधड़ियों के अवास्तविक आंकड़े दिखते हैं। इस मामले के समाधान के लिए, यह निर्णय लिया गया कि सीमित सांख्यिकी प्रयोजनार्थ बैंकों को 25 लाख रुपयों तक के वे मामले बंद करने की अनुमति दी जा सकती है जो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) दायर करने या सीबीआइ/पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र/चालान/अंतिम रिपोर्ट दायर किए हुए तीन वर्ष हो गए हो और न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो।

परोक्ष निगरानी और पर्यवेक्षण ढांचा

VI.44 परोक्ष निगरानी विनियामक विवरणी को सुरक्षित ऑनलाइन विवरणी फाइलिंग प्रणाली (ओआरएफएस) के माध्यम से प्राप्त करने के नीतिगत निर्णय के एक भाग के रूप में, बैंको द्वारा प्रस्तुत मौजूदा आवधिक विवेकसम्मत परोक्ष विवरणियां चरणबद्ध रूप से ओआरएफएस को अंतरित की जा रही हैं। ओआरएफएस के लाभों में संकलन सुविधा, तेज प्रस्तुतीकरण, निगरानी, विवरणी में बदलाव लाना और प्रणाली का रखरखाव शामिल है।

ग्राहक सेवा

VI.45 वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा ग्राहक सेवा में सुधार के लिए रिज़र्व बैंक ने कई महत्वपूर्ण पहलें कीं। बैंकों के लिए यह अपेक्षित था कि वे 1 करोड़ रुपए से कम मूल्य वाले चेकों के बार-बार नकारे जाने संबंधी स्थिति से निपटने के लिए अपने बोर्ड के विधिवत अनुमोदन से नीति निर्धारित करें। अपरिचालनात्मक खातों के संबंध में, बैंकों को सूचित किया गया कि बचत खाता को सावधि जमा खाता पर देय ब्याज की अंतिम जमा प्रविष्टि की तारीख से दो साल के बाद ही अपरिचालनात्मक माना जा सकता है। प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा रोक लगाए गए सावधि जमा खातों के नवींकरण के संदर्भ में, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे जमाकर्ता को नवींकरण की अवधि चुनने का विकल्प दें जिसमें विफल होने पर

बैंक मूल अवधि की समतुल्य अवधि के लिए नवींकरण करेंगे। ऑस्टिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मानसिक अस्थिरता और बहुविध अक्षमता वाले व्यक्तियों का राष्ट्रीय कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 के तहत गठित स्थानीय स्तर की समितियों संबंधी सूचना दर्शाने के संबंध में उक्त अधिनियम का आवश्यक ब्योरा प्रदर्शित करने की सूचना बैंकों को दी गई। दैनिक उत्पाद आधार पर बचत बैंक ब्याज की गणना करने की प्रणाली 1 अप्रैल 2010 से शुरू की गई। झंझट रहित शिकायत निवारण को सुकर बनाने के लिए, शिकायत ट्रैकिंग साफ्टवेअर (सीटीएस) पैकेज का उन्नत वर्सन, जिसमें कई संवर्धित कार्य शामिल थे, 1 जुलाई 2009 से लागू हो गया।

VI.46 रिज़र्व बैंक की जानकारी में ग्राहकों के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली बैंकों द्वारा की गयी भूल एवं चूक संबंधी कोई घटना आने पर, ग्राहकों के संरक्षण के लिए सभी बैंकों को सामान्य निदेश जारी किए जाते हैं। 2009-10 में की गई इस प्रकार की पहलों में शामिल हैं - जमा खातों पर ब्याज दरों की गणना, उधारकर्ताओं से राहत संबंधी आवेदन प्राप्त हुए बिना उनके साथ हुए करार की शर्तों के अनुसार सभी आवास ऋणों पर ब्याज दर की दुबारा गणना करने के लिए बैंक को निदेश, तथा बैंकों को यह निदेश देना कि वह उस बीमा प्रीमियम को दुबारा जमा करें जिसे समूह बीमा योजना के तहत बचत खातेदारों के खातों से नामे डाला गया था। रिज़र्व बैंक ने एक पेंशनभोगी से शिकायत प्राप्त होने पर पेंशनभोगियों को पेंशन एवं बकाया राशि के संवितरण के संबंध में और पेंशन भुगतान के संबंध में विलंब के लिए मुआवजा देने पर सभी एजेंसी बैंकों को अनुदेश भी जारी किए हैं।

बैंकिंग लोकपाल द्वारा किए गए आउटरीच कार्यकलाप

VI.47 बैंकिंग लोकपाल योजना तथा उसकी झंझट रहित निपटान प्रक्रिया के बारे में अधिक जागरूकता लाने की दृष्टि से वर्ष के दौरान कई तरह की पहलों पर बल दिया गया जिनमें बैंकों के साथ चर्चा, जागरूकता कैम्प लगाना, प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा विभिन्न मीडिया के माध्यम से प्रचार करना शामिल हैं।

ग्राहकों के प्रति बैंक की वचनबद्धता संहिता

VI.48 भारतीय बैंकिंग कूट और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआइ) की सदस्यता 2006 के 67 बैंकों से बढ़कर 2010 में 102 बैंक हो गयी तथा 16 और बैंकों की सदस्यता प्रक्रियाधीन है। ग्राहकों की बढ़ती हुई प्रत्याशाओं, बैंकिंग प्रणाली में नवोन्मेष, सतत बाजार गतिविधियों तथा समसामयिक विनियामक ढांचे के साथ आगे बढ़ने के लिए, बीसीएसबीआइ ने अगस्त 2009 में ग्राहकों के प्रति बैंक की संशोधित वचनबद्धता संहिता जारी की। संशोधित संहिता में ग्राहक सेवा संबंधी बैंकिंग प्रथाओं के वर्तमान मानकों को उन्नत किया गया है, गुरुतर पारदर्शिता तथा बैंकों में अधिक दक्ष शिकायत निवारण प्रणाली लायी गयी है।

शहरी सहकारी बैंक

समझौता ज्ञापन की व्यवस्थाएं

VI.49 2005 से रिज़र्व बैंक तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर शहरी सहकारी बैंकों के द्वैध नियंत्रण की समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। जून 2005 में शुरू हुई एमओयू पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया फरवरी 2010 में पूरी हुई, इस प्रकार देश के सभी शहरी सहकारी बैंकों को एमओयू के कवर के तहत लाया गया। समन्वित पर्यवेक्षण की सुविधा के साथ, वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों को करेंसी चेस्ट खोलने, म्यूच्युअल फंडों के यूनिट तथा बीमा संबंधी उत्पाद बेचने, विदेशी विनिमय संबंधी सेवा प्रदान करने, नये एटीएम खोलने तथा विस्तार काउंटरों को शाखाओं में बदलने की अनुमति देकर उनके कारोबार के विस्तार की इजाजत दी गयी। साथ ही, नयी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस देने के लिए भी यू सी बी पर विचार किया गया।

विलय के माध्यम से समेकन

VI.50 सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में समेकन एवं सुदृढ़ संस्थाओं के उदय को प्रोत्साहित करने और सुकर बनाने की दृष्टि से तथा कमजोर/गैर-अर्थक्षम संस्थाओं की विघटन रहित निकासी का मार्ग प्रशस्त करने की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2005 में शहरी सहकारी बैंकों के लिए विलय/समामेलन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए। शहरी सहकारी बैंकों के विलय संबंधी दिशानिर्देश जारी होने पर, रिज़र्व बैंक को 124 बैंकों के संबंध में विलय हेतु 143 प्रस्ताव प्राप्त हुए। रिज़र्व बैंक ने 103 मामलों में अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किए थे। इनमें से, सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस)/ संबंधित सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) द्वारा सांविधिक आदेश जारी किए जाने

पर 83 विलय प्रभावी हो गये। रिज़र्व बैंक ने विलय के 25 प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, 6 प्रस्ताव बैंकों द्वारा वापस ले लिए गए तथा शेष 9 पर विचार किया जा रहा है। जिन 83 बैंकों के लिए आरसीएस/सीआरसीएस से विलय के आदेश प्राप्त हुए हैं उनमें से 52 की निवल मालियत ऋणात्मक थी।

यूसीबी की आस्तियों एवं देयताओं का वाणिज्य बैंकों को अंतरण

VI.51 रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों (शाखाओं सहित) की आस्तियां एवं देयताएं वाणिज्य बैंकों को अंतरित करने की योजना के बारे में ब्यौरेवार दिशानिर्देश जारी किए, जो उन कमजोर बैंकों के विघटन के लिए एक अतिरिक्त विकल्प है जहां यूसीबी क्षेत्र के भीतर समामेलन संबंधी प्रस्ताव सामने नहीं आ रहे थे। इस योजना में जमाकर्ताओं को पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है तथा डीआइसीजीसी का समर्थन डीआइसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 16(2) के तहत प्रदान की गयी राशि तक सीमित होगा। 31 मार्च 2007 अथवा उसके पहले की स्थिति के अनुसार संबंधित यूसीबी की निवल मालियत ऋणात्मक होनी चाहिए तथा अंतरण की तारीख को निवल मालियत ऋणात्मक बनी रहनी चाहिए।

लाइसेंसरहित यूसीबी

VI.52 अगस्त 2009 में बीएफएस द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर, वर्तमान लाइसेंसरहित बैंकों की पुनरीक्षा की गयी तथा तब से 50 यूसीबी को बैंकिंग लाइसेंस स्वीकृत किया गया। 30 जून 2010 की स्थिति के अनुसार 6 लाइसेंसरहित बैंक हैं तथा इन बैंकों के बारे में शीघ्र ही पुनरीक्षा पूरी कर ली जाएगी।

यूसीबी के लिए रेटिंग मॉडल

VI.53 शहरी सहकारी बैंकों तथा वाणिज्य बैंकों के बीच पर्यवेक्षणात्मक अभिसरण लाने के लिए, यूसीबी के लिए पर्यवेक्षणात्मक रेटिंग मॉडल को संशोधित किया गया तथा उसे 31 मार्च 2009 से शुरू हुए निरीक्षण चक्र से लागू किया गया। संशोधित रेटिंग मॉडल लागू करने के साथ यूसीबी को ग्रेड देने की प्रणाली समाप्त कर दी गयी है। संशोधित कैमेल्स रेटिंग मॉडल 100 करोड़ रुपए तथा उससे अधिक जमाराशिवाले यूसीबी पर लागू होगा तथा उसका संशोधित सरलीकृत वर्सन 100 करोड़ रुपए से कम जमाराशिवाले यूसीबी पर लागू होगा। अलग-अलग घटकों की रेटिंग के भारित औसत के आधार पर यूसीबी को ए + से डी के दायरे में एक संमिश्र रेटिंग दी जाएगी।

ग्रामीण सहकारी संस्थाएं

पुनर्जीवन पैकेज की प्रगति

VI.54 भारत सरकार के 'अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के लिए पुनर्जीवन पैकेज' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी नाबार्ड ने 14 राज्यों में 49,779 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के पुनःपूंजीकरण के लिए भारत सरकार के हिस्से के प्रति जून 2010 के अंत तक 7,988 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी, जबकि राज्य सरकारों ने अपने हिस्से के रूप में 754 करोड़ रुपए जारी किए थे। अब तक सोलह राज्यों ने अपने संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में संशोधन किया है।

एसटीसीबी/डीसीसीबी को लाइसेंस

VI.55 वर्तमान लाइसेंसरहित राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी)/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को लाइसेंस देने के मानदंड अक्तूबर 2009 में शिथिल किए गए। अक्तूबर 2009 के पहले, 14 एसटीसीबी (कुल 31 में से) तथा 75 डीसीसीबी (कुल 371 में से) को लाइसेंस दिया गया था। शिथिल मानदंड जारी करने के बाद, 8 और एसटीसीबी तथा 125 डीसीसीबी को लाइसेंस दिया गया और इस प्रकार लाइसेंसप्राप्त एसटीसीबी और डीसीसीबी की कुल संख्या जून 2010 के अंत में क्रमशः 22 तथा 200 हो गई।

शाखा लाइसेंसीकरण

VI.56 अगस्त 2009 में एसटीसीबी के शाखा लाइसेंसीकरण के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए। तदनुसार शाखा लाइसेंसीकरण के लिए एसटीसीबी के उन प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है, जिनका सीआरएआर न्यूनतम 9 प्रतिशत है, जिन्होंने सीआरआर तथा एसएलआर संबंधी अपेक्षाओं में चूक नहीं की गई है, जिनका निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 10 प्रतिशत से कम है तथा जिन्होंने कोई गंभीर अनियमितता नहीं की है। इसके अलावा, यह भी अपेक्षित है कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण

संरचना के लिए भारत सरकार के पुनर्जीवन पैकेज के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया हो।

आरआरबी को सुदृढ़ बनाना

VI.57 आरआरबी की वित्तीय स्थिति की जांच करने तथा मार्च 2012 तक आरआरबी का सीआरएआर 9 प्रतिशत तक लाने के लिए रोडमैप का सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समिति (अध्यक्षः डॉ.के.सी.चक्रवर्ती) ने 82 आरआरबी में से 40 के लिए 2,200 करोड़ रुपए की पुनःपूंजीकरण अपेक्षा की सिफारिश की है। समिति ने अन्य बातों के साथ ही आरआरबी की प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने की अनुमति दी जिससे उच्चतर निवल मालियत वाले आरआरबी उचित समय पर पूंजी बाजार में पहुंच सकते हैं जिससे आरआरबी के अभिशासन, प्रबंधन ढांचे और उनकी दक्षता में सुधार होगा। समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

VI.58 आरआरबी को सुदृढ़ बनाने और उन्हें समेकित करने के लिए, 2005 में भारत सरकार ने एक चरणबद्ध रूप में आरआरबी के समामेलन की प्रक्रिया शुरू की। फलस्वरूप 31 मार्च 2010 को आरआरबी की कुल संख्या 196 से घटकर 82 रह गई।

VI.59 प्रायोजक बैंकों से प्राप्त स्थिति रिपोर्टों के अनुसार, 21 आरआरबी ने पूरी तरह से कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) अपना लिया है तथा शेष आरआरबी में सीबीएस लागू करने का कार्य चल रहा है।

VI.60 आरआरबी को उनके बकाया अग्रिमों के 60 प्रतिशत से अधिक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के विरुद्ध अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जोखिम सहभागिता आधार पर 180 दिनों की अवधि के अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आइबीपीसी) की अनुमति दी गई है।

भारतीय जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

VI.61 जमा बीमा योजना इस समय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वाणिज्य बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित, को कवर करती है। भारत में जमा बीमा की वर्तमान 1 लाख रुपए की सीमा के साथ, 31 मार्च 2010 को 80[1] प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में कुल खातों (14,239 लाख) में पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या (12,670 लाख) 89.0 प्रतिशत थी। राशि-वार, 23,69,483 करोड़ रुपए के साथ बीमाकृत जमाराशि 20-40 प्रतिशत के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क की तुलना में 42,82,966 करोड़ रुपए की आकलन योग्य जमाराशि का 55.3 प्रतिशत थी। 2009-10 में, इस निगम ने पिछले वर्ष के 228.43 करोड़ रुपए के दावों की तुलना में 82 सहकारी बैंकों के संदर्भ में (28 मूल दावे और 54 अनुपूरक दावे) 654.65 करोड़ रुपए के कुल दावों का निपटान किया।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

एनबीएफसी-एनडी-एसआइ विनियमन लागू करना

VI.62 100 करोड़ रुपए के आस्ति आकार वाली जमा न स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी प्रणालीगत रूप से वर्गीकृत की जाती है। अतः एनबीएफसी को सूचित किया गया कि वे इस प्रकार का आकार प्राप्त करने की तारीख से निरपेक्ष रहते हुए 100 करोड़ रुपए का आस्ति आकार प्राप्त करते ही समय-समय पर एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विनियमनों का अनुपालन करें तथा बाद में आस्तियां कम हो जाने की स्थिति में भी वर्तमान निदेशों का अनुपालन करना जारी रखें।

चिट फंड कंपनियों द्वारा जमा स्वीकरण

VI.63 विविध गैर - बैंकिंग कंपनियों (एमएनबीसी) के रूप में वर्गीकृत चिट फंड कपनियां शेयरधारकों से जमाराशियां स्वीकार कर सकती हैं किंतु उन्हें जनता से जमाराशियां स्वीकार करने के लिए मना किया गया है। अतः उन्हें सूचित किया गया कि वे परिपक्वता पर जनता की जमाराशियां चुका दें।

उपयुक्त और उचित मानदंड

VI.64 एनबीएफसी क्षेत्र में मजबूती के कुछ संकेत मिलने के कारण यह निर्णय लिया गया कि जमा स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी के शेयरों के टेकओवर/अभिग्रहण अथवा जमा स्वीकार

1 मई 2002 को बासेल, स्विटजरलैंड में आयोजित जमा बीमा के अंतरराष्ट्रीय संघ के प्रथम वार्षिक सम्मेलन में रुल ऑफ थंब के रूप में स्वीकृत।

करनेवाली एनबीएफसी का विलय/समामेलन किसी अन्य संस्था के साथ करने अथवा किसी संस्था का विलय/समामेलन जमा स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी के साथ करने के लिए, जिससे अर्जनकर्ता/अन्य संस्था को जमा स्वीकार करनेवाली एनबीएफसी का नियंत्रण प्राप्त हो जाए, रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी। इसके अलावा, यह सुनिश्चि करने के लिए यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे विलय/समामेलन पर, प्रबंधन का सामान्य स्वरूप रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'उपयुक्त और उचित मानदंड' के अनुरूप होना चाहिए।

एनबीएफसी के लिए ब्याज दर फ्यूचर्स

VI.65 एनबीएफसी को सेबी द्वारा मान्यताप्राप्त नामोद्दिष्ट ब्याज दर फ्यूचर्स एक्सचेंजों में उनके अंतर्निहित एक्सपोजरों के बचाव के प्रयोजन के लिए, उस मामले में रिज़र्व बैंक/सेबी के दिशानिर्देशों के अधीन, ग्राहकों के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई।

एनबीएफसी का नया वर्ग - बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी

VI.66 बुनियादी ढांचा क्षेत्र को ऋण प्रदान करनेवाली कंपनियों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि 'बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी' (आइएफसी) के रूप में एनबीएफसी का चौथा वर्ग शुरू किया जाए। जो कंपनियां कुल आस्तियों का न्यूनतम 75 प्रतिशत बुनियादी ढांचा संबंधी ऋण में लगाती हैं; जिनकी निवल स्वाधिकृत निधियां 300 करोड़ रुपए या उससे अधिक हैं; जिनकी न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग 'ए' अथवा उसके समतुल्य है; तथा जिनका सीआरएआर 15 प्रतिशत (10 प्रतिशत की न्यूनतम स्तंभ I पूंजी सहित) है उनका वर्गीकरण इस वर्ग में किया जा सकता है और उन्हें स्वाधिकृत निधि के अतिरिक्त 5 प्रतिशत तक एकल/समूह उधारकर्ता को ऋण प्रदान कर वर्तमान ऋण संक्रेंद्रण मानदंडों का अतिक्रमण करने की अनुमति है।

ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण का प्रस्तुतीकरण [एनबीएस-एएलएम3]

VI.67 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को सूचित किया गया है कि वे ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण [एनबीएस-एएलएम3] पर विवरणी उससे संबंधित छमाही की समाप्ति से 20 दिन के भीतर प्रस्तुत करें।

एनबीएफसी द्वारा सीमापारीय निवेश के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)

VI.68 विनियामक अनुमति के बिना सीमापारीय निवेश करने से फेमा अधिनियम का उल्लंघन होता है, अत: एनबीएफसी को सूचित किया गया है कि वे ऐसे निवेश करते से पहले रिज़र्व बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करें।

आवासीय परियोजनाओं के लिए वित्त - सूचना का प्रकटीकरण

VI.69 पर्याप्त प्रकटन सुनिश्चित करने के लिए एनबीएफसी को सूचित किया गया है कि वे आवासीय/विकास परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करते समय ये शर्तें निर्धारित करें कि उधारकर्ता सूचना पत्रकों/सूचना पुस्तिका/विज्ञापन आदि में उन संस्थाओं के नाम प्रकट करें जिनके पास संपत्ति बंधक रखी गई है और यह कि वे आवश्यक होने पर फ्लैट/संपत्ति की बिक्री के लिए बंधक रखने वाली संस्था की एसओसी अनुमति उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त अपेक्षा पूरी हुए बिना निधि जारी नहीं की जानी चाहिए।

उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या उसका प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निर्माण कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2010 द्वारा अधिग्रहण

VI.70 2010-11 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषित किए अनुसार, रिज़र्व बैंक ने 'उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या उसका एससी/आरसी द्वारा अधिग्रहण, 2010' पर 21 अप्रैल 2010 को दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश उधारकर्ता के कारोबार के उचित प्रबंधन पर लक्ष्यित हैं ताकि एससी/आरसी उधारकर्ता के कारोबार के प्रबंधन में परिवर्तन या उसके अधिक्रमण तथा संबंधित मामलों में अधिकार का प्रयोग करके उधारकर्ता से प्राप्य राशि वसूल कर सकें।

प्रतिभूतिकरण कंपनी और पुनर्निमाण कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश और निदेश, 2003 - संशोधन

VI.71 एससी/आरसी के कार्यों में पारदर्शिता और बाजार अनुशासन लाने की दृष्टि से, वर्ष के दौरान प्राप्त आस्तियों, वर्ष

के अंत में लंबित वित्तीय आस्तियों का मूल्य, शोधन हेतु लंबित प्रतिभूति प्राप्ति का मूल्य आदि के संबंध में अतिरिक्त प्रकटन निर्धारित किए गए। अब एससी/आरसी के लिए यह अनिवार्य है कि वे किसी विशेष योजना के तहत जारी सभी प्रतिभूति प्राप्तियों के शोधन तक हर योजना और हर श्रेणी के तहत उनके द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों की शेष राशि के पांच प्रतिशत की न्यूनतम जोखिम में निवेश करें और उसे धारित रखें।

एनबीएफसी-एनडी-एसआइ - संकेंद्रण मानदंडों से छूट के लिए प्रयोज्यता

VI.72 एनबीएफसी-एनडी-एसआइ गारंटियां जारी करती हैं और इन गारंटियों के विकास के लिए जनता की निधि तक पहुंच आवश्यक हो सकती है। जनता की निधि तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पहुंच न बनाने वाली या गारंटियां जारी न करने वाली एनबीएफसी-एनडी-एसआइ को सूचित किया गया था कि वे ऋण/निवेश मानदंडों के संकेंद्रण के संबंध में निर्धारित सीमा में छूट/संशोधन के लिए रिज़र्व बैंक से संपर्क करें।

शारीरिक रूप से/दृष्टि के संबंध में विकलांग लोगों के लिए ऋण सुविधाएं

VI.73 अक्षमता के आधार पर भेदभाव की संभावना मिटाने के लिए एनबीएफसी को सूचित किया गया था कि वे शारीरिक रूप से/दृष्टि के संबंध में विकलांग लोगों आवेदकों के साथ उत्पाद या सुविधाएं देने में भेदभाव न करें और विभिन्न कारोबारी सुविधाएं लेने के लिए इन आवेदकों की हर संभव सहायता की जाए।

VI.74 आगे चलकर, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाने तथा आइएफआरएस के साथ भारतीय लेखांकन मानदंडों के अनुसरण से वित्तीय क्षेत्र के सामने उल्लेखनीय चुनौतियां उत्पन्न होंगी। जैसे-जैसे नए बाजार एवं उत्पाद विकसित अथवा लागू किए जाएंगे, इस प्रकार के बाजारों अथवा उत्पादों से उत्पन्न जोखिमों का सतर्कतापूर्वक आकलन किए जाने की जरूरत होगी। इस प्रकार के बाजार अथवा उत्पाद विकसित करते समय मुख्य अंतःसमर्थन यह सुनिश्चित करना होगा कि पहला, बैंकों से अलग गैर मध्यस्थता की प्रक्रिया वास्तविक हो तथा दूसरा, जिन क्षेत्रों में बैंक और एनबीएफसी शामिल हों वहां विवेकपूर्ण ढांचे के भीतर जोखिमों को स्पष्ट एवं पारदर्शी तौर पर समझा जाए। गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए, अंतर्निहित जोखिमों के अधिक सुदृढ़ आकलन के लिए इस क्षेत्र की पर्यवेक्षी व्यवस्था को मजबूत बनाए जाने की जरूरत होगी। एनबीएफसी तथा अन्य वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के बीच अंतर-संबद्ध प्रवाहों पर कड़ी निगरानी रखने की भी जरूरत होगी। भारतीय स्थितियों में लागू किए जाने पर विनियामक मानकों एवं प्रथाओं में होनेवाले वैश्विक परिवर्तनों का उच्चतर एवं समावेशक वृद्धि के लिए ऋण प्रवाह हेतु निहितार्थ हो सकता है।